



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

PBR/निगरानी/ग्वालियर प्रकरण क्रमांक :- ..... / PBR / 2017 निगरानी  
भू.सं. 2017/3792

- 1- भागीरथ वर्मा पुत्र श्री सुखराज वर्मा  
निवासी 45-शान्ति नगर जेवी मंगाराम  
फैक्ट्री के पास गोला का मन्दिर  
ग्वालियर
- 2- श्रीमती मीना कुमारी थापा पत्नी श्री  
मानबहादुर निवासी मकान नम्बर  
216-शान्ति नगर गोला का मन्दिर  
ग्वालियर  
-प्रार्थीगण

बनाम

सरदार निर्मल सिंह पुत्र स्व. श्री बाबा  
सरदार हरनाम सिंह निवासी दूध डेयरी  
के पास मुरार रोड़ गोला का मन्दिर  
ग्वालियर

- 2- म. प्र. शासन -प्रतिप्रार्थीगण

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश  
भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक  
27/07/2017 न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त  
लशकर प्रकरण क्रमांक 10/2014-15/अ-6  
सरदार निर्मल सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन।**

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार  
प्रस्तुत है :-

**प्रकरण के संक्षिप्त विवरण :-**

- 1- यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रतिप्रार्थी

अभिलेख संख्या 10-10-12 को  
10/10/17  
मध्य प्रदेश न्यायालय  
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

दिनांक 12-10-17  
1-  
10/11/17

10/10/17

10/11/17

Copy Received

10/11/17

58

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक PDR | निगरानी | ग्वालियर | श्र.क्र. / 2017 / 3792

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
-------------------	--------------------	---

03-04-19

प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।

  
21/5/19

  
अध्यक्ष